भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

98

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,

पुनरीक्षण क्रमांक :302-III/2010

श्रीमती संतोष देवी जैन, पत्नी श्री कैलाशचन्द्र जैन, आयु–62 वर्ष, निवासी–सरावगी मोहल्ला वार्ड क्र.–5, श्योपुर, द्वारा मुख्त्यारआम प्रमोद कुमार जैन, नवासी–सरावगी मोहल्ला वार्ड क्र.–5, श्योपुर तहसील व जिला श्योपर, (म.प्र.)

——आवेदिका

बनाम

1. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, श्योपुर
2. विनोद कुमार गौड़ पुत्र श्री केदारलाल गौड़, निवासी–गनपति रिसोर्ट शिवपुरी रोड़ के पास, वार्ड नं.–7 श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. हरीशंकर पुत्र गजाधर गौड़, निवासी–खोजी पुरा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

——अनावेदकगण

न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/2000–01/स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13/05/2002 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1 यह कि, ग्राम गुवाड़ी तहसील व जिला श्योपुर में स्थित भूमि खसरा क्रं–219/3ग रकवा 17 बीघा में से 8 बीघा 1.672 हैक्टेयर अनावेदक क्रमांक–2 राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमि स्वामी से दिनांक 16/04/08 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तद्नुसार तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 25/05/08 द्वारा आवेदिका का नामांतरण हो गया था।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक → 302–तीन/10 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-8-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 1/2001–02/स्व0 निग0 में पारित आदेश दिनांक 13–5–2002 के विरूद्ध दिनांक 15–3–10 को अर्थात 7 वर्ष 10 माह विलंब से म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश के विरूद्ध मूल पक्षकारों अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी कमांक 639–तीन/2010 पेश की गई थी जिसका निराकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7–6–16 को किया जाकर अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश निरस्त किया गया है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश की वैधानिकता पर विचार की आवश्यकता नहीं है । उक्त आदेश इस प्रकरण में भी लागू होगा । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । 2/ उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	